

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने पर केंद्र प्रायोजित योजना के लिए आवेदन करने का प्रोफार्मा

APPLICATION PROFORMA FOR CENTRALLY SPONSORED SCHEME ON IMPROVING TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNMENT THROUGH EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT

क.		
1.	वह घटक जिसके लिए सहायता मांगी गई है (दिशा-निर्देशों के संगत पैरा का उल्लेख किया जाए) Component for which assistance sought (Relevant Para of guidelines to be mentioned)	
ख.	संस्था संबंधी ब्यौरे Details of Institution	
i).	संस्था का नाम Name of Institution	
ii).	डाक का पूरा पता (पत्राचार के लिए) Complete postal address (For Correspondence)	
iii).	दूरभाष नंबर (लैंड लाइन) और मोबाइल Telephone Nos. (Landline) & Mobile	
iv).	फैक्स नंबर Fax Nos.	
v).	ई-मेल पता E-mail address	
ग.	नोडल अधिकारी संबंधी विवरण Particulars of Nodal Officer	
i).	नाम Name	
ii).	पदनाम Designation	
iii).	दूरभाष/मोबाइल नं. Tele/Mobile No.	
iv).	ई-मेल आईडी E-mail ID	
घ.	बैंक संबंधी ब्यौरे Bank Details	
i).	बैंक का नाम और शाखा Bank Name and Branch	
ii).	खाता धारक संबंधी ब्यौरे Details of Account Holder	
iii).	आईएफएससी कोड IFSC Code	
iv).	एमआईसीआर कोड MICR Code	
ड.	प्रस्ताव संबंधी ब्यौरे Details of Proposal	अनुबंध के अनुसार As per Annexure

(टिप्पणी : एक निरस्त किया गया चैक संलग्न करें)

(Note: A cancelled cheque leaf may be enclosed)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

It is certified that

1. पिछले वर्षों में “आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना, क्षमता निर्माण और जागरूकता उत्पन्न करना” और “आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना” के संबंध में केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत पिछले वर्षों में जारी की गई सभी निधियों को पूरी तरह से उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाया गया है जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था और वास्तविक उपलब्धि के विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

All funds released under the Centrally Sponsored Schemes on `Strengthening, Capacity Building are Awareness Generation for the effective implementation of the RTI Act and “Improving Transparency and Accountability in Government through effective implementation of RTI Act” in the previous years have been fully utilized for the purpose of which they were released and Utilization Certificates have been submit along with statement of physical achievement.

2. व्यय के प्राक्कलनों का उपयुक्त के रूप में अनुमोदन कर दिए जाने पर और इन प्राक्कलनों के आधार पर अनुदान का आकलन कर दिए जाने पर अनुदान मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा उनमें संशोधन नहीं किया जाएगा।

Once the estimates of expenditure are approved as reasonable and the grant assessed on the basis on these estimates, they shall not be modified by the institution without prior approval of the sanction in authority of the grant.

(हस्ताक्षर).....
 (Signature).....
 अधिकारी का नाम
 Name of the Officer.....
 पदनाम.....
 Designation.....

टिप्पणी : एटीआई के मामले में डीजी/निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए और एसआईसी के मामले में सचिव द्वारा।
 Note: Should be signed by DG/Director in case of ATI and by Secretary in the case of SIC.

अनुबंध
ANNEXURE

प्रस्ताव संबंधी ब्यौरे
DETAILS OF PROPOSAL

निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रस्ताव संबंधी ब्यौरे संलग्न किए जाएं Details of Proposal as per following template to be enclosed		
1.	प्रस्तावित क्रियाकलाप Proposed Activities	
2.	समय-सीमा Time Lines	
3.	क्रियाकलाप-वार व्यय के विस्तृत अनुमान Detailed estimates of expenditure activity wise	
4.	आवश्यक अनुदान की कुल राशि Total amount of grant required.	